

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 821

जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है
लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाएं

821. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में हर एक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने और सड़क पर होने वाली मारपीट की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए राजमार्गों पर हाई रिजोल्यूशन कैमरे और गतिमापक यंत्र (स्पीड डिटेक्टर) लगाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान व्यापक सड़क सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय उपकरणों को सक्षम बनाने हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 2017 से 2020 तक पिछले चार वर्षों के दौरान प्रतिशत परिवर्तन सहित सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है:-

क्र. सं.	वर्ष	दुर्घटनाएं / मौतें	सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या	पिछले वर्ष के अनुसार प्रतिशत परिवर्तन
1	2017	दुर्घटनाओं	464910	-
		मौतें	147913	-
2	2018	दुर्घटनाओं	467044	+ 0.45 %
		मौतें	151417	+ 2.4%

3	2019	दुर्घटनाओं	449002	- 3.8%
		मौतें	151113	- 0.2%
4	2020	दुर्घटनाओं	366138	- 18.4%
		मौतें	131714	- 12.8%

(ग) और (घ): मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 अन्य बातों के साथ-साथ अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपराधों के लिए शास्ति में वृद्धि और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए निवारण बढ़ाने का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य बेहतर सड़क सुरक्षा प्रदान करना है जिसके परिणामस्वरूप सड़कों पर दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी आती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के संबंध में अधिसूचना सा.का.नि. 575 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2021 जारी की है। यह नियम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों (स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर), मशीन से वजन (डब्ल्यूआईएम) और ऐसी किसी भी तकनीक के प्लेसमेंट) के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

(ड.): व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं के लिए खर्च किए जाने वाले फंड का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शामिल संरचनाओं के आधार पर परियोजना की कुल लागत के 2.21% से 15% तक घटे-बढ़े होते हैं।
